# न्याय निर्णयन अधिकारी
# एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर

**एफ.एस. प्रकरण संख्या– 05/2018**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

<u>बनाम</u>

1. श्री पदमाराम देवासी पुत्र श्री भैराराम देवासी उम्र 30वर्श **(एफबीओ)**
   फर्म– मैसर्स–श्री भाग्यलक्ष्मी किराणा, के0के0 मार्केट के सामने, जोधपुर रोड, पीपाड सिंटीइ,जिला जोधपुरनिवासी–44, देवासियों का बास, रियां, पीपाड सिटी, जोधपुर ।
2. श्री सुनिल कुमार राठी पुत्र श्री रामरख राठी **(मालिक)**
   फर्म–मैसर्स–पंकज ट्रेडर्स, आडा बाजार, पीपाड सिंटी, जिला– जोधपुर निवासी–धाडबिया जाव, पीपाड सिटी जिला–जोधपुर ।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2. अप्रार्थी 1 व 2 स्वंय उपस्थित।

**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(पप) एंव धारा 51 के तहत**

**निर्णय** **दिनांक 28.03.2018**

यह प्रकरण श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया किः–

1– आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें क्रम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

2– आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर आवंटित कार्यक्षेत्र मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर दिया है जिसमें क्रम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

3— खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 09.08.2011 के द्वारा मेरे नाम मे त्रुटि सुधार कर अधिसुचित किया गया जिसमें क्रम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है ।

4— आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार समस्त जिला जोधपुर मेरा कार्य क्षैत्र है । (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

5— दिनांक 24.05.2017 को 02:30 पी.एम. मैं रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग, मैसर्स– श्री भाग्यलक्ष्मी किराणा, के0के0 मार्केट के सामने, जोधपुर रोड, पीपाड सिंटी, जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता की हैसियत से श्री पदमाराम देवासी पुत्र श्री भैराराम देवासी उम्र 30 वर्श निवासी– 44, देवासियों का बास, रियां, पीपाड सिटी, जोधपुर । उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग हेतु **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड)** एंव अन्य घी एंव खाद्य तेलो एंव किराणा सामान का विक्रय कर रहे थे । मालिक/विक्रेता से वर्ष 2017 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसए 1670,एंव पहचान पत्र पेश किया उक्त की प्रमाणित छायाप्रतियां सलग्न परिवाद है।

6— दुकान का निरीक्षण करने में **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल (पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) 15 लिटर के 1 पैक टिन** में आम जनता को वास्ते विक्रय था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिये रूबरू गवाह श्री नेमाराम घांची पुत्र श्री घासीराम चौधरी निवासी– ग्रा0पो0 रिया सेठों की, पीपाड सिटी जिला जोधपुर मो0 9828910837 एंव मेरे साथ गये श्री राजे ा टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदे ाक चि0 एंव स्वा0 सेवाये जोन– जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल (पोस्ट प्राईड ब्राण्ड)15 लिटर के 1 पैक टिन मै से** वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ । प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है । जो सलग्न है ।

7— रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को **रूपये 190/–** नगद देकर **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) 15 लिटर पैक टिन को दुसरी और से खोलकर 1600ग्राम एक साफ सुखी खाली स्टील भगोनी मे** वास्ते जाचं नमूनीकरण हेतु खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की । जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

8— विक्रेता व गवाह के सामने उक्त **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड)**1600ग्राम को चार साफ सुखी खाली नयी प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में बराबर–बराबर मात्रा मे डालकर ऐयर टाईट बन्द कर इन भागो हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम–1519** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई । मेने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये । चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया । इन चारों नमूनों

को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम–1519** हस्ताक्षर युक्त डॉ. सुरेन्द्र सिंह चौधरी, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चचिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना **एम–1519** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया ।उक्त टिन को सिल कर खाद्य कारोबारकर्ता श्री पदमाराम देवासी को सुपुर्द किया गया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है

9– कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा मैंरे स्वयं के द्वारा दिनांक 25.05.2017 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है ।

10– **एम–1519** नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 24.05.2017 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 24.05.2017 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

11– श्री पदमाराम देवासी को उक्त खाद्य पदार्थ **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) 15** लिटर पैक टिन की अग्रीम खरीद हेतु इनवोईस पे ा करने हेतु रजि0 पत्र संख्या 121 दिनांक 06. 06.2017 प्रेशित किया । जो संलग्न परिवाद है ।

12– श्री पदमाराम देवासी को उक्त खाद्य पदार्थ **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) 15** लिटर पैक टिन की अग्रीम खरीद हेतु इनवोईस 1709 मैसर्स पंकज ट्रेडर्स, पीपाड सिटी जरिये पत्र दिनांक 07.07.2017 पे ा किया । उक्त दोनो संलग्न परिवाद है ।

13– अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 19103–04 दिनांक 21.06.2017 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. एलएस/519/एक्ट/17/515 दिनांक 05.06.2017 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल (पोस्ट प्राईड ब्राण्ड)** का नमूना **Butyro-**

**refeactrometer reading at 40'c 54.0 to 57.1** की जगह **61.29** एंव **Saponification value 188.0 to 196.0** के स्थान पर **176.33** एंव **Bellier test 39.0 to 41.0** के स्थान पर **19.0** होना पाया **के कारण** निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण **अमानक स्तर** (**Sub Standard/Does not conform**) का होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है ।

14– यह है कि मैसर्स पंकज ट्रेडर्स, पीपाड सिटी को उक्त खाद्य पदार्थ **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड)** की खरीद हेतु इनवोईस पे ा करने हेतु रजि0 पत्र संख्या 128 दिनांक 10.07.2017 मय फार्म–5ऐ, एंव जांच रिपोर्ट मय अभिहित अधिकारी जोधपुर का पत्र प्रेशित किया गया जो मय रजि0 रसीद संलग्न परिवाद है

15– यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल (पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) हेतु** मैसर्स पंकज ट्रेडर्स, पीपाड सिटी ने पत्र द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की अग्रीम खरीद हेतु इनवोईस नही होना जाहिर किया एंव स्वय को अंतिम पार्टी मानकर अग्रीम कार्यवाही हेतु पत्र मय उनकी फर्म के मालिक श्री सुनिल राठी का पहचान पत्र एंव एफएसएसए अनुज्ञप्ति एंव जी एस टी प्रमाण पत्र पे ा एंव किया जो सभी संलग्न परिवाद है

16. अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण कर एफ. एस. एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (पप) उल्लघंन किया है जो की धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है । अतः निवेदन है कि बाद तहकीकात अभियुक्तगण को जुर्माना करने की कृपा करे ताकि अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) खाद्य पदार्थ के निर्माण एंव विक्रय/उपयोग को रोका जा सकें।

अप्रार्थी संख्या 1 पदमाराम ने उपस्थित होकर कथन किया कि मेरी फर्म से रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) का जो नमूना वास्ते जो जॉच हेतु लिया गया था। यह रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल (पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) ऑयल मैंने पंकज टेडर्स आडा बाजार पीपाड़ शहर जोधपुर से बिल नं 1709 दिनांक 09.05.2017 के द्वारा खरीद किया गया था। इसमें द्वारा मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई।

अप्रार्थीसंख्या 2 सुनील कुमार राठी बावजूद इतला तामिल नोटिस के गैर हाजिर रहा।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवम इसके साथ संलग्न दस्तावेज खाद्य विशलेषक एवम जन विशलेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस./519/एक्ट/2017/515 दिनांक 05.06.2017 के द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्राप्त रिफा0 ग्राउन्डनट ऑयल ( पोस्ट प्राईड ब्राण्ड) तेल जॉच रिपोर्ट में (Sub Standard) मिथ्या छाप होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने के दोषी है जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान

किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधानों को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जुर्माने से राशि दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री पदमाराम देवासी पुत्र श्री भैराराम देवासी उम्र 30वर्श **(एफबीओ)** फर्म– मैसर्स–श्री भाग्यलक्ष्मी किराणा, के0के0 मार्केट के सामने, जोधपुर रोड, पीपाड सिटी जिला जोधपुर निवासी–44, देवासियों का बास, रियां, पीपाड सिटी, जोधपुर पर खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवम नियम 2011 के धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लघंन करने एवम अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त धारा 51 के तहत शास्ति राशि रूपये 10,000/– अक्षरे रूपये दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी संख्या 2 श्री सुनिल कुमार राठी पुत्र श्री रामरख राठी **(मालिक)** फर्म–मैसर्स–पंकज ट्रेडर्स, आडा बाजार, पीपाड सिंटी, जिला– जोधपुर निवासी–धाडबिया जाव, पीपाड सिटी जिला–जोधपुर ापुर पर खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवम नियम 2011 के धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लघंन करने एवम अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त धारा 51 के तहत शास्ति राशि रूपये 15,000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थीसंख्या 1 व 2 आरोपित शास्ति राशि 1 माह के भीतर राज्य कोष में जमा करवाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

कमांकः कोर्ट/एडीएम–प्रथम/2018/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री पदमाराम देवासी पुत्र श्री भैराराम देवासी उम्र 30वर्श **(एफबीओ)** फर्म– मैसर्स–श्री भाग्यलक्ष्मी किराणा, के0के0 मार्केट के सामने, जोधपुर रोड, पीपाड सिंटी जिला जोधपुरनिवासी–44, देवासियों का बास, रियां, पीपाड सिटी, जोधपुर ।
4. श्री सुनिल कुमार राठी पुत्र श्री रामरख राठी **(मालिक)** फर्म–मैसर्स–पंकज ट्रेडर्स, आडा बाजार, पीपाड सिंटी, जिला– जोधपुर निवासी–धाडबिया जाव, पीपाड सिटी जिला–जोधपुर ।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।